भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3002
11.03.2026 को उत्तर देने के लिए

ई-साक्षी पोर्टल

3002.श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
डॉ. मन्ना लाल रावतः
श्रीमती हिमाद्री सिंहः
श्री दामोदर अग्रवालः
श्री रमेश अवस्थीः
श्री सुरेश कुमार कश्यपः
श्री सुखजिंदर सिंह रंधावाः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री दिलीप शइकीयाः
श्रीमती कमलेश जांगड़ेः
श्री लुम्बाराम चौधरीः
डॉ. राजेश मिश्राः
श्री माधवनेनी रघुनंदन रावः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत प्राप्त की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है जिसमें निधि प्रवाह संशोधन, ई-साक्षी पोर्टल और मोबाइल ऐप के कार्यान्वयन सम्मिलित हैं;

(ख) पूर्ण किये गये और वर्तमान में प्रगति पर चल रहे संस्तुत कार्यों की संख्या का ब्यौरा क्या है और क्षमता निर्माण के संबंध में की गई पहलों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पेयजल सुविधाओं और स्वच्छता जैसी सामुदायिक परिसंपत्तियों पर एमपीलैड्स के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत कार्यों को पूरा करने में अत्यधिक विलंब हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का इन कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए पंजाब सहित अन्य राज्यों को निदेश जारी करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) मंत्रालय ने एमपीलैड्स के तहत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन हेतु 1 अप्रैल 2023 से ई-साक्षी पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल एमपीलैड्स निधियों के प्रबंधन में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। यह एक एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान

करता है, जहां सांसद की संस्तुतियां, जिला स्तरीय संस्वीकृति और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निष्पादन का समन्वय सुचारू रूप से होता है, जिससे कार्यप्रवाह सुचारू और कुशल बना रहता है। डिजिटल प्रणाली में परिवर्तन से निधि जारी करने की प्रक्रिया सुव्यवस्थित हुई है, भौतिक खातों की आवश्यकता समाप्त हुई है, माननीय सदस्यों और सभी हितधारकों को कार्यों की संस्तुति करने, निगरानी करने और प्रबंधन करने की सुविधा ऑनलाइन हुई है, और सुरक्षित ओटीपी-आधारित सत्यापन को शामिल किया गया है। कार्यों और निधि उपयोग की वास्तविक समय ट्रैकिंग से पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूती मिलती है, साथ ही परियोजना कार्यान्वयन में तेजी आई है।

जनवरी 2024 में माननीय संसद सदस्यों के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया गया। अगस्त 2024 में इस एप्लिकेशन को अन्य हितधारकों, जिनमें राज्य नोडल प्राधिकरण, नोडल जिला प्राधिकरण, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण और कार्यान्वयन एजेंसियाँ शामिल हैं, तक विस्तारित किया गया।एक 'नागरिक अनुरोध' मॉड्यूल भी शुरू किया गया है,जिससे जनता सीधे संसद सदस्यों को विकास संबंधी अनुरोध प्रस्तुत कर सकती है।

एमपीलैड्स योजना 1 अप्रैल 2025 से मॉडल 2 से मॉडल 1ए (टीएसए हाइब्रिड) में परिवर्तित हो गई है। मॉडल 1ए के तहत, पीएमयू-सीएनए ने आरबीआई के साथ एक असाइनमेंट खाता खोला है, जो सीएनए-एसबीआई खाते से जुड़ा हुआ है। एसबीआई प्रस्तुत किए गए बिलों के आधार पर समेकित दैनिक निधि मांग उत्पन्न करता है, जिसे अनुमोदन के लिए पीएफएमएस को भेजा जाता है। अनुमोदन के बाद, आरबीआई असाइनमेंट खाते से एसबीआई खाते में और फिर सीधे विक्रेताओं को धनराशि हस्तांतरित की जाती है। यह तंत्र किसी भी स्तर पर धनराशि के अवरोध (पार्किंग) के बिना पूरी तरह से सुव्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करता है

इन परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाली तकनीकी और परिचालन संबंधी समस्याओं का समाधान बेहतर बैकएंड सहायता, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, पीएफएमएस और एसबीआई के बीच समन्वय और आवधिक अपडेट के माध्यम से किया जा रहा है।

इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान वित्त वर्ष में (दिनांक 07.03.2026 तक) कुल ₹ 3482.54 करोड़ सीधे विक्रेताओं को जारी किए गए हैं, जो पूर्ववर्ती प्रवृत्तियों से अधिक है।

(ख) 18वीं लोकसभा के संदर्भ में, एमपीलैड्स के अंतर्गत अनुशंसित कार्यों का राज्य एवं वर्षवार विवरण तथा उनकी स्वीकृति, पूर्णता और प्रगति की स्थिति दिनांक 06.03.2026 की स्थिति के अनुसार संलग्न है (अनुबंध 1)।

मंत्रालय राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के साथ योजना के कार्यान्वयन की निगरानी, एमपीलैड्स कार्यों की प्रगति का आकलन तथा परिचालन संबंधी कठिनाईयों के समाधान हेतु मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। हितधारकों की ई–साक्षी पोर्टल से परिचितता बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों, माननीय सांसदों तथा उनके निजी स्टाफ हेतु कार्यशालाएँ, वेबिनार एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में आयोजित सभी भौतिक कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षणों की विस्तृत सूची अनुबंध–II में दी गयी है। इसके अतिरिक्त, पोर्टल उपयोगकर्ताओं को निरंतर सहयोग प्रदान करने हेतु अनेक वेबिनार एवं ऑनलाइन सत्र भी आयोजित किए जाते हैं।

प्रत्येक संसद सत्र (मानसून सत्र 2023 से) के दौरान सांसदों को एमपीलैड्स प्रक्रियाओं एवं ई–साक्षी पोर्टल में सहायता प्रदान करने के लिए कियोस्क स्थापित किए जाते हैं। सत्र अवधि में सभी कार्य दिवसों पर प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक एक हेल्पडेस्क कार्य करता है, जिससे सांसदों एवं हितधारकों को आवश्यक संसाधनों तक सुगम पहुँच सुनिश्चित हो सके। मंत्रालय ने ई–साक्षी पोर्टल हेतु उपयोगकर्ता पुस्तिकाएँ एवं निर्देशात्मक वीडियो भी तैयार कर हितधारकों को उपलब्ध कराए हैं।

(ग) मंत्रालय ने देशभर के 504 नोडल जिलों में 01.04.2019 से 31.03.2024 की अवधि में पूर्ण किए गए एमपीलैड्स कार्यों का तृतीय–पक्ष भौतिक मूल्यांकन कराया है, ताकि योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न

पहलुओं का आकलन किया जा सके। मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, अध्ययन में सम्मिलित कुल स्वीकृत कार्यों में से 12.67% कार्य (कुल स्वीकृत लागत का 10.23%) पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित थे। तृतीय-पक्ष भौतिक मूल्यांकन रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

i. प्रतिदर्श के रूप में चयनित 100% परिसंपत्तियाँ क्षेत्रीय मूल्यांकन के समय उपलब्ध थीं।

ii. प्राथमिक निष्कर्षों के आधार पर 94.56% परिसंपत्तियाँ कार्यशील पाई गईं, जो प्रभावी कार्यान्वयन एवं उपयोगिता को दर्शाती हैं।

iii. कुल 82.27% परिसंपत्तियाँ उचित रूप से अनुरक्षित पाई गईं।

iv. 87.24% अनुशंसित परियोजनाएँ निर्धारित समयसीमा में संस्वीकृत की गईं।

v. 86.72% कार्य निर्धारित 365 दिनों की समयसीमा में पूर्ण किए गए।

vi. सामुदायिक स्तर पर एमपीलैड्स परिसंपत्तियों से बेहतर सामाजिक अवसंरचना, सुदृढ़ स्थानीय संपर्क तथा सामूहिक कल्याण को प्रोत्साहित करने वाले स्थान उपलब्ध हुए।

vii. क्षेत्रीय दौरे के दौरान 77.04% उत्तरदाताओं ने बताया कि परियोजना ने उनके समुदाय के समग्र विकास में योगदान दिया है, जबकि 95.82% उत्तरदाताओं ने कहा कि एमपीलैड्स योजना ने सरकार एवं सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रति उनका विश्वास बढ़ाया है।

(घ) से (च) एमपीलैड्स दिशा–निर्देश, 2023 के पैरा 3.2.4 के अनुसार, संसद सदस्य द्वारा की गई सभी पात्र अनुशंसाओं के संबंध में स्वीकृति / अस्वीकृति कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा अनुशंसाओं की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों के भीतर जारी की जाएगी।

एमपीलैड्स दिशा–निर्देश, 2023 के पैरा 3.2.12 के अनुसार, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा जारी स्वीकृति पत्र में कार्य पूर्ण करने की समयसीमा का उल्लेख किया जाएगा, जो सामान्यतः एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। अपवादस्वरूप, कठिन/पर्वतीय क्षेत्रों आदि में जहाँ कार्यान्वयन अवधि एक वर्ष से अधिक होने की संभावना है, उसके लिए विशेष औचित्य स्वीकृति पत्र में सम्मिलित किया जाएगा।

मंत्रालय समय–समय पर राज्य नोडल प्राधिकरणों को परामर्श जारी करता है तथा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों एवं जिला प्राधिकरणों के साथ मासिक एवं तिमाही समीक्षा बैठकें आयोजित करता है, ताकि कार्यों की समयबद्ध स्वीकृति, क्रियान्वयन एवं पूर्णता सुनिश्चित की जा सके।

इसके अतिरिक्त, निधि प्रवाह और परियोजना निगरानी के लिए ईसाक्षी पोर्टल के संचालन से कार्यों की वास्तविक समय में उपलब्धता ने पारदर्शिता को बढ़ाया है और योजना की निगरानी को मजबूत किया है। वास्तविक समय में कार्य प्रगति निगरानी रिपोर्ट, जिसमें संस्तुति की तारीख से 45 दिनों के बाद भी स्वीकृति के लिए लंबित कार्यों का विवरण, स्वीकृति के एक वर्ष बाद भी अपूर्ण कार्य और स्वीकृति के तीन महीने के भीतर भुगतान न किए गए कार्यों का विवरण शामिल है, राज्य/जिला लॉगिन के तहत उपलब्ध कराई गई हैं ताकि विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर केंद्रित निगरानी और समीक्षा को सुगम बनाया जा सके। प्रगति की समीक्षा करने, बाधाओं को दूर करने और कार्यान्वयन दक्षता में सुधार करने के लिए समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं।

*****

अनुबंध I

{11.03.2026 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3002 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध}

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2024-25								वित्त वर्ष 2025-26							
		अनुशंसित कार्य		स्वीकृत कार्य*		प्रगति पर कार्य*		पूरे कर लिए गए कार्य*		अनुशंसित कार्य		स्वीकृत कार्य*		प्रगति पर कार्य*		पूरे कर लिए गए कार्य*	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	6	1.93	5	1.53	5	1.53	0	0.00	20	4.55	5	1.08	5	1.08	0	0.00
2	आंध्र प्रदेश	1015	68.63	904	59.15	642	45.92	262	13.23	1829	124.69	1311	90.91	1139	84.38	172	6.53
3	अरूणाचल प्रदेश	48	5.00	47	4.90	25	2.74	22	2.16	195	14.29	158	11.58	126	9.05	32	2.53
4	असम	647	37.45	548	30.93	523	30.06	25	0.87	1346	83.58	661	44.70	622	41.79	39	2.91
5	बिहार	1305	104.52	1243	98.83	239	16.06	1004	82.77	2959	207.59	1904	140.67	1031	67.65	873	73.02
6	चंडीगढ़	38	1.92	17	0.83	2	0.25	15	0.58	74	5.57	33	3.01	23	2.49	10	0.52
7	छत्तीसगढ़	787	42.63	765	40.71	416	22.10	349	18.61	1170	56.09	946	44.41	752	35.70	194	8.72
8	दिल्ली	117	10.50	73	6.18	65	5.57	8	0.62	387	35.38	314	25.84	313	25.76	1	0.07
9	गोआ	80	8.04	33	3.25	29	2.66	4	0.60	138	12.74	31	2.54	19	2.10	12	0.44
10	गुजरात	2600	90.05	2167	71.11	1187	39.88	980	31.23	4375	154.03	2939	101.24	2409	86.42	530	14.82
11	हरियाणा	390	21.34	339	18.84	226	14.66	113	4.18	995	52.02	750	37.65	594	32.44	156	5.21
12	हिमाचल प्रदेश	474	10.82	372	9.19	325	8.15	47	1.04	1212	26.30	950	20.30	880	19.26	70	1.04
13	जम्मू और कश्मीर	288	12.20	236	8.36	96	5.68	140	2.69	512	28.45	351	20.59	318	19.63	33	0.96
14	झारखंड	953	29.17	917	27.95	800	21.04	117	6.91	2631	90.33	1627	57.96	1614	57.59	13	0.37
15	कर्नाटक	1527	89.73	1032	62.65	850	53.28	182	9.37	2473	146.86	765	43.90	725	41.82	40	2.09
16	केरल	1617	85.25	1095	54.71	786	40.81	309	13.90	2019	113.11	1081	61.88	984	58.26	97	3.61
17	लद्दाख	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	23	2.78	8	0.64	8	0.64	0	0.00
18	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	27	9.05	17	5.68	16	5.66	1	0.02
19	मध्य प्रदेश	2468	104.43	2311	98.92	1412	65.95	899	32.97	3034	121.09	1854	79.32	1486	66.25	368	13.07
20	महाराष्ट्र	1428	141.62	793	79.20	654	64.41	139	14.79	2465	231.28	539	48.45	503	44.90	36	3.55
21	मणिपुर	29	7.71	29	7.71	16	5.28	13	2.43	36	9.37	31	8.48	29	8.20	2	0.28
22	मेघालय	207	8.87	196	8.43	148	6.78	48	1.65	246	10.40	201	8.40	175	7.50	26	0.90
23	मिजोरम	106	4.90	105	4.89	86	3.66	19	1.23	65	4.85	59	4.40	56	4.32	3	0.08
24	नागालैंड	23	4.90	23	4.90	0	0.00	23	4.90	16	4.90	16	4.90	2	0.97	14	3.93

25	ओड़िशा	1598	40.68	1446	34.97	900	27.78	546	7.19	2653	112.02	1351	54.30	1182	48.57	169	5.73
26	पुदुचेरी	22	4.63	16	3.08	13	2.81	3	0.27	40	7.51	0	0.00	0	0.00	0	0.00
27	पंजाब	1012	31.76	921	28.84	311	12.22	610	16.62	2417	76.21	2057	62.95	1647	51.39	410	11.56
28	राजस्थान	944	60.49	800	49.61	454	33.65	346	15.96	1680	112.55	926	60.30	823	55.37	103	4.93
29	सिक्किम	21	4.89	21	4.89	13	2.65	8	2.24	53	5.57	30	4.83	29	4.78	1	0.05
30	तमिलनाडु	1550	148.87	1349	121.27	836	79.72	513	41.55	3094	251.32	2017	136.00	1419	107.67	598	28.33
31	तेलंगाना	1555	47.67	1318	38.31	924	26.94	394	11.36	2612	103.84	1421	57.30	1224	52.00	197	5.31
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	82	11.61	0	0.00	0	0.00	0	0.00
33	त्रिपुरा	10	4.92	9	4.59	9	4.59	0	0.00	38	10.45	27	6.65	27	6.65	0	0.00
34	उत्तर प्रदेश	7025	291.28	6584	272.36	3017	114.95	3567	157.41	8633	439.51	4880	319.49	4186	264.90	694	54.59
35	उत्तराखंड	187	6.49	167	6.08	134	4.74	33	1.34	503	15.98	280	9.20	252	8.50	28	0.70
36	पश्चिम बंगाल	2321	160.83	2124	139.04	1284	101.24	840	37.80	3201	225.14	1734	126.10	1490	114.05	244	12.05

*संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान अनुशंसित कार्यों के संबंध में दिनांक 06.03.2026 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत, प्रगति पर तथा पूर्ण किए गए कार्य।

*****

अनुबंध II

{11.03.2026 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3002 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध}

क्र.सं.	दिनांक	स्थान
1	23 फ़रवरी 2023	दिल्ली
2	2 मार्च 2023	जयपुर
3	10 मार्च 2023	कोलकाता
4	17 मार्च 2023	बंगलुरू
5	3 मई 2023	दिल्ली
6	16 मई 2023	चंडीगढ़
7	19 मई 2023	लखनऊ
8	23 मई 2023	पटना
9	29 मई 2023	तिरुवनंतपुरम
10	5 जून 2023	मुंबई
11	12 जून 2023	जयपुर
12	21 जून 2023	त्रिपुरा
13	26 जून 2023	हरियाणा
14	4 जुलाई 2023	श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर
15	6 जुलाई 2023	रायपुर, छत्तीसगढ़
16	8 जुलाई 2023	गोवा
17	11 जुलाई 2023	विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश
18	13 जुलाई 2023	चेन्नई, तमिलनाडु
19	17 अगस्त 2023	देहरादून, उत्तराखंड
20	18 अगस्त 2023	भोपाल, मध्य प्रदेश
21	22 अगस्त 2023	हैदराबाद ,तेलंगाना
22	25 अगस्त 2023	पुदुचेरी
23	28 अगस्त 2023	शिलांग, मेघालय
24	30 अगस्त 2023	गुवाहाटी, असम
25	31 अगस्त 2023-1 सितंबर 2023	कोलकाता, पश्चिम बंगाल
26	5 सितंबर 2023	कावारत्ती, लक्षद्वीप
27	8 सितंबर 2023	भुवनेश्वर, ओडिशा

28	11 सितंबर 2023	गांधीनगर, गुजरात
29	15 सितंबर 2023	रांची, झारखंड
30	3 अक्टूबर 2023	पोर्ट ब्लेयर, अंडमान
31	13 अक्टूबर 2023	बंगलुरु, कर्नाटक
32	16 अक्टूबर 2023	चंडीगढ़
33	24 नवंबर 2023	चंडीगढ़
34	19 जनवरी 2024	कोलकाता, पश्चिम बंगाल
35	12 मार्च 2024	सिक्किम
36	20-21 जून 2024	दिल्ली
37	29 नवंबर 2024	कोलकाता
38	22 जनवरी 2025	दिल्ली
39	29 अगस्त 2025	जयपुर, राजस्थान(1)
40	2 सितंबर 2025	दिल्ली(2)
41	19 सितंबर 2025	हैदराबाद, तेलंगाना(3)
42	7 नवंबर 2025	मुंबई, महाराष्ट्र(4)
43	23 जनवरी 2026	कोच्चि, केरल(5)

(1) राजस्थान के सभी जिलों और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, पंजाब. हरियाणा, लद्दाख के एमपीलैड्स से जुड़े प्रतिभागियों को कवर करने के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला

(2) संसद के माननीय सदस्यों के निजी स्टाफ हेतु अखिल भारतीय प्रशिक्षण

(3) तेलंगाना के सभी जिलों और आन्ध्र प्रदेश. पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक, गोआ, लक्षद्वीप, हिमाचल के एमपीलैड्स से जुड़े प्रतिभागियों को कवर करने के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला

(4) महाराष्ट्र के सभी जिलों और मध्य प्रदेश. छत्तीसगढ़. गुजरात. दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के एमपीलैड्स से जुड़े प्रतिभागियों को कवर करने के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला

(5) राष्ट्रीय स्तर पर विचार मंथन कार्यशाला